

डिक्री वमुकदमें ईव्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:- 165/2019

1. विनय कुमार पुत्र खूबीराम जाति जाट निवासी वार्ड न0 7, तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. खूबीराम पुत्र नारायण राम जाति जाट निवासी वार्ड न0 7, तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. रेणु पत्नी कुलदीप महिया पुत्री खूबीराम जाति जाट निवासी लालगढ़ जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. पंकज पत्नी रोहिताश महिया पुत्री खूबीराम जाति जाट निवासी लालगढ़ जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. रीतू पत्नी बलवंत सिहाग जाति जाट निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री बलविन्द्रसिंह थिन्द वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री हितेन्द्र मोहन सारस्वत प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी स0 1 के नाम से चक 4 टी.एल.डब्ल्यू के खाता स0 27/31 के प0न0 231/289 मु0 33 किलानं0 2,9,12,19, 21/1.265 है0, एंवम चक 5 टीएलडब्ल्यू के खाता स0 53/48 के प0न0 231/288 मु0 59 किलानं0 7,8,13,14,17,18,23/1, 23/2, 24 कुल 2.024 है0 कृषि भूमि का वादी विनय कुमार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं0 4 टी.एल.डब्ल्यू के खाता स0 27/31 एंवम चक 5 टीएलडब्ल्यू के खाता स0 53/48 मे से प्रतिवादी खूबीराम का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक
.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....25-08-2019.....को जारी किया गया।

(मीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी